

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:प.1(22)(3)रानिआ/लेखा/2014-15/ 345

दिनांक: 09/01/15

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

प्रेषित,

जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलेक्टर) बीकानेर।

विषय:- रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) को अल्पाहार भुगतान के संबंध में दिशा निर्देश।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 13709 दिनांक 05.01.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में पंचायत चुनाव के मतदान अधिकारियों के लिए जारी मार्ग दर्शिका के पृष्ठ संख्या-3 पर भाग-2 के बिन्दु संख्या-6 तथा पृष्ठ संख्या-10-11 पर रिटर्निंग ऑफिसर के कर्तव्यों का अवलोकन करे जिससे एक ही मतदान दल द्वारा अलग-अलग दिवसों में मतदान कराये जाने पर रिटर्निंग ऑफिसर को अन्य कार्यों के अलावा जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन के लिए भी मतदान दल की देखरेख करने हेतु स्पष्ट किया गया है। अतः रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) को दोनों मतदान दिवसों के लिए अल्पाहार भुगतान देय होगा। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

(सत्य प्रकाश बसवानी)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

S.No 346-47
09/01/15

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) समस्त।
2. पंचायत चुनाव शाखा।

(कोमल आगरी)
वित्तीय सलाहकार
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर